न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी / 01 / 2023

1. नरेन्द्र सिहं पुत्र भगवान सिहं
2. अनीता चौधरी पत्नि शैलेन्द्र सिहं
3. समय सिहं पुत्र लक्ष्मन सिहं

} जाति जाट निवासी ग्रांम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर

....सायलान

बनाम

1. छीतर सिहं पुत्र कल्यान सिहं (मृतक)
   1/1 रूपनारायन
   1/2 तेजसिहं
   1/3 महेश
   1/4 विष्णु
   } पुत्रान स्व0 छीतर सिहं } निवासी बढ़वारी खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. घमण्डी पुत्र कल्यान सिहं
3. सरपंच ग्राम पंचायत कवई पं. स. नदबई जिला भरतपुर

.....उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तग्रत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्रांम पंचायत कवई दिनांक 05.03.2020, पट्टा विलेख सं0 36 ग्रांम कवई तहसील नदबई।

उपस्थित :–
1– श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी0
2– श्री प्रमोद कुमार उपमन, अभिभाषक अप्रार्थी0

दिनांक 04.12.2024

निर्णय

प्रार्थी. ने यह निगरानी विरुद्व अप्रार्थीगण व खिलाफ आदेश ग्रांम पंचायत कवई पंचायत समिति नदबई दिनांक 05.03.2020, पट्टा विलेख सं0 36 ग्राम कवई के खिलाफ पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. की तलवी की गई एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में निगरानी में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित जायदाद निगरानीकर्ता सं0 1 तन्हा स्वामित्व में रही है जिसका भौतिक कब्जा भी निगरानीकर्ता सं0 1 का रहा है। निगरानीकर्ता सं0 1 ने दिनांक 26.09.2022 को निगरानीकर्ता सं0 2 व 3 को विवादित जायदाद को विक्रय कर दिया गया है। निगरानीकर्ता सं0 2 को 2/3 पश्चिम हिस्सा व निगरानीकर्ता 3 को 1/3 पूर्वी हिस्सा हस्तांतरित कर भौतिक कब्जा दे दिया गया है। वर्तमान में निगरानीकर्ता सं0 2 व 3 विवादित जायदाद के मालिक काबिज हैं। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि अप्रार्थी का इस जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्राम पंचायत कवई द्वारा राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अधीन पट्टा दिया जाना बतलाया है जबकि इस नियम के अन्तर्गत केवल पुराने कब्जे के ग्रहावि के सम्बन्ध में ही पट्टा जारी किया जा सकता है। चूँकि विवादित जायदाद पर उत्तरवादीगण का पहले पचास सालों से कोई कब्जा नहीं रहा है, इस प्रकार बिना कब्जे के पट्टा जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अप्रार्थीगगण ग्राम कवई तहसील नदबई में निवास नहीं करते हैं उनका निवास ग्राम बुढ़वारी खुर्द तहसील नदबई में वहीं पर उनके वोटर आई.डी. कार्ड बने हैं व वोटर लिस्ट में नाम है व राशन कार्ड बने हुये हैं। ग्राम कवई में उनका कोई नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से उत्तरवादी सं0 1 व 2 ग्राम बुढ़वारी खुर्द तहसील नदबई में रह रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टा जारी करते समय नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। ना ही मौके कब्जा की जॉच की गई है। पट्टा जारी किये जाने हेतु शुल्क राशि दिनांक 13.7.2017 को जमा कराई गई है, जबकि पट्टा वर्तमान सरपंच ने जारी किया है जिसका कार्यकाल 24.01.2020 से शुरू हुआ है। इस प्रकार भी प्रक्रिया पट्टा गलत अपनायी गई है। उक्त पट्टे की सत्यता की जॉच जिला कलक्टर सतर्कता को दिये गये प्रार्थना पत्र/शिकायत दिनांक 27.10.2022 के जबाव में विकास अधिकारी नदबई द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.03.2023 में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत कवई द्वारा पट्टा जारी करने सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शिकायत पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 के सम्बन्ध में पट्टा कितनी जमीन पर दिया गया है और पट्टा जारी करने

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

की प्रक्रीया पूर्ण एवं नियमानुसार है या नहीं, के सम्बन्ध में जॉच किया जाना सम्भव नहीं है। विकास अधिकारी नदबई ने प्रार्थना पत्र/शिकायत पत्र को अपील नहीं मानकर केवल जॉच रिपोर्ट प्रेषित की है जो गलत है। निगरानीकर्ता उक्त जॉच को अपील समझे हुये थे लेकिन विकास अधिकारी उसे अपील नहीं मानकर केवल जॉच प्रतिवेदन दिया है इसलिए अब दिनांक 22.3.2023 को पट्टे की नकल प्राप्त करने पर निगरानीकर्ता को आदेश तहत की वास्तविक जानकारी हुई जानकारी होने की दिनांक से निगरानी अन्दर म्याद पेश की जा रही है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि ग्रांम पंचायत अधिनियम में म्याद की कोई अवधि नहीं है, फिर भी देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। निगरानी स्वीकार की जाकर ग्रांम पचांयत कवई का आदेश निरस्त किया जावे। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों की समर्थन में रुलिंग डी.एन.जे.(राज0) 2008 पेज 1627, डी.एन.जे.(एससी) 2020(3) पेज 999, डी.एन.जे.(एससी) 2021(4) पेज 1059, डी. एन.जे.(राज.) 2015(3) पेज 595, डी.एन.जे.(राज.) 2013(3) पेज 1490, डी.एन.जे. (राज.) 2010(3) पेज 1147, उद्धरित करते हुये प्रार्थना की कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानी अधीन ग्रांम पंचायत कवई आदेश पट्टा संख्या 36 दिनांक 5.3.2020 ग्रांम कवई तहसील नदबई निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि एक रजिस्टर्ड पट्टे को श्रीमान के न्यायालय में जरिये निगरानी निरस्त कराने हेतु यह प्रकरण प्रार्थी0 द्वारा पेश किया गया है, जब कि उप पंजीयक नदबई के यहॉ से रजिस्टर्ड पट्टे को श्रीमान को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि निगरानीधीन पट्टा उप पंजीयक नदबई द्वारा दिनांक 25.6.2020 को पुस्त संख्या 1 जिल्द संख्या 37 पृष्ठ संख्या 196 क्रम संख्या 202003265100445 पर पजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 148 के पृष्ठ संख्या 327 से 332 पर चस्पा है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है प्रस्तुत निगरानी म्याद बाहर पेश की गई है, प्रार्थी0 को पट्टा की जानकारी दिनांक 5.3.20 को ही हो चुकी थी। प्रार्थी0 ने पट्टा निरस्त कराने हेतु एक दीवानी वाद संख्या 52/2022 उनवानी नरेन्द्रसिंह बनाम घमण्डी माननीय सिविल न्यायाधीश नदबई के न्यायालय में पेश किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है। अब प्रार्थी का यह कहना कि

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

उसे पट्टे की जानकारी दिनांक 5.10.2023 को हुई है गलत है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन मे डी.एन.जे.(एससी.) 2018 पेज 470, डी.एन.जे.(राज.) 2018(2) पेज 385, डी.एन.जे.(राज.) 2021(1) पेज 186, डी.एन.जे.(राज.) 2019(3) पेज 339, उद्धरत किये तथा निगरानी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावलीयों का गहनता से अध्ययन किया उभय पक्षकारान अभिभाषक के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः निगरानी की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में निगरानी को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, निगरानी की मैरिट पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं को मैरिट की बहस में उठाया गया है, इन बिन्दुओं को भी मैरिट के साथ डिसाईड किया जा रहा है। प्रार्थी ने ग्रांम पंचायत कवई, द्वारा छीतर, घमण्डी पुत्र कल्यानसिंह के हक में जारी पट्टा दिनांक 5.3.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। पत्रावली में उपलब्ध निगरानी अधीन आदेश ग्रांम पंचायत कवई द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5.3.20 का अवलोकन किया गया। ग्रांम पंचायत कवई द्वारा जारी

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

पट्टा के अवलोकन से जाहिर है कि यह पट्टा संख्या 036 संकल्प संख्या 05 दिनांक 5.3.20 की अनुपालना में दिनांक 23.6.2020 को अप्रार्थी छीतर, घमण्डी पुत्र कल्यान सिंह के हक में जारी किया गया है जो कि उप पंजीयक नदबई (भरतपुर) द्वारा दिनांक 25.6.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 37 पुष्ठ संख्या 196 कम संख्या 202003265100445 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। यानि ग्रांम पंचायत कवई द्वारा जारी उक्त पट्टा पंजीकृत(रजिस्टर्ड) कर दिया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्यप्रतिलिपि दीवानी वाद संख्या 52/2022 उनवानी नरेन्द्र सिंह बनाम घमण्डी के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि ग्रांम पंचायत कवई द्वारा जारी उक्त पट्टा को केन्सिल कराये जाने हेतु प्रार्थी/निगरानीकर्त्ता नरेन्द्र सिंह द्वारा अप्रार्थी0 के खिलाफ माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई के न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.10.2018 उनवान इन्दर सेन बनाम राज्य सरकार वगे0, डी.एन.जे. 2019(1)(राज.) पेज संख्या 339 में प्रतिपादित किया है कि :-

" Constitution of India ' 1950 – Art 226- Cancellation of lease deed –UIT cancelled the registerted lease deed by exercising the executive powers-Registered deed issued by the statutory authority cannot be cancelled by exercising the executive powers- only remedy for cancellation of a registered lease deed is to file civil suit for declaration before the competent court-Held' order is without jurisdiction and liable to be set aside."

इसी प्रकार डी.एन.जे. 2021(1)(राज) पेज 186 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है :-

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009–धारा 312 व 327 नगर परिषद द्वारा जारी रजिस्टर्ड पट्टा को रद्द करने हेतु तहसीलदार ने कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया कि भूमि नगर परिषद की नहीं है बल्कि यह सरकारी भूमि है, तथा नगर परिषद को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है– कलेक्टर ने नोटिस जारी किया । कलेक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा बातिल नहीं किया जा सकता–रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा अपास्त किया जा सकता है।"

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक प्रार्थी उद्धरित रुलिंग विचाराधीन प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण एक रजिस्टर्ड (पंजीकृत) पट्टा को निरस्तीकरण का है, और एक रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः निगरानी काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयान निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर